2 बजट 2016 – वित्त अधिनियम 2016 के महत्वपूर्ण संशोधन : एक दृष्टि में

Budget 2016 – Important Amendments : At a Glance

2.1 आयकर से छूट की मौलिक सीमा व आयकर की दरें अपरिवर्तित आयकर से छूट की मौलिक सीमा नही बढ़ाई गई है और न ही आयकर के स्लैब में कोई परिवर्तन किया गया है व्यक्तिगत करदाताओं, हिन्दु अविभक्त परिवार, व्यक्तियों का संघ/निकाय के लिए आयकर की दरें निम्नानुसार :–

करदाता की श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2015–16 में लागू	वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए
व्यक्तियों के लिये	करयोग्य आय 2,50,000 रू. तक – निरंक 2,50,001 से 5,00,000 तक – 10 % 5,00,001 से 10,00,000 तक – 20 % 10,00,000 से अधिक – 30 %	करयोग्य आय 2,50,000 रू. तक – निरंक 2,50,001 से 5,00,000 तक – 10 % 5,00,001 से 10,00,000 तक – 20 % 10,00,000 से अधिक – 30 %
वरिष्ठ नागरिकों के लिये (60 वर्ष या अधिक उम्र)	करयोग्य आय 3,00,000 रू. तक – निरंक 3,00,001 से 5,00,000 तक – 10 % 5,00,001 से 8,00,000 तक – 20 % 8,00,000 से अधिक – 30 %	करयोग्य आय 3,00,000 रू. तक – निरंक 3,00,001 से 5,00,000 तक – 10 % 5,00,001 से 10,00,000 तक – 20 % 10,00,000 से अधिक – 30 %
अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या अधिक उम्र)	करयोग्य आय 5,00,000 रू. तक – निरंक 5,00,001 से 8,00,000 तक – 20 % 8,00,000 से अधिक – 30 %	करयोग्य आय 5,00,000 रू. तक – निरंक 5,00,001 से 10,00,000 तक – 20 % 10,00,000 से अधिक – 30 %

2.2 छोटे आयकर दाताओं को आयकर से छूटः वित्तीय वर्ष 2013–14 से व्यक्ति करदाता जिसकी करयोग्य आय 5 लाख रू तक है, उसे रू 2000 या वास्तविक देय आयकर की राशि, जो कम हो, की धारा 87ए के तहत छूट मिल रही थी। जिसे वित्तीय वर्ष 2016–17 से बढ़ाकर 5000 रु. कर दी गई है।

[धारा 87A]

2.3 सरचार्ज की दर 2 प्र.श. बढ़ी (व्यक्ति, HUF, आदि के लिए)

देय आयकर की राशि पर सरचार्ज की दर निम्नानुसार होगी :–

क्र.	करदाता की श्रेणी	आय सीमा	सरचार्ज की दर	
			वित्तीय वर्ष 15–16 के लिए	वित्तीय वर्ष 16–17 के लिए
1	घरेलू कंपनी	यदि कर योग्य आय रू. 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हो	7 %	7 %
		यदि कर योग्य आय रू. 10 करोड़ से अधिक हो	12 %	12 %
2	गैर कंपनी करदाता – व्यक्ति, HUF, BOI,AOP	यदि कर योग्य आय रू. 1 करोड़ से अधिक हो	12 %	15 %
3	फर्म को आपरेटिव सोसायटी इत्यादि	यदि कर योग्य आय रू.1 करोड़ से अधिक हो	12 %	12 %

नोट – सरचार्ज आंकलन में सीमांत राहत (Marginal relief) दी जाती है।

न्यू पेंशन योजना (NPS) से संबंधित आयकर के प्रावधानों में संशोधन –

2.4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से, खाता बंद करते समय/योजना से बाहर निकलते समय, किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त राशि का 40 प्र.श. करमुक्त होगा। [धारा 10(12A)]

2.5. Superannuation fund या मान्यता प्राप्त भविश्य निधि में संचयित कर्मचारी के खाते की राशि को धारा 80CCD के तहत अधिसूचित पेंशन योजना (NPS) में कर्मचारी के खाते में हस्तांतरित किया जाता है तो हस्तांतरित की गई राशि कर मुक्त होगी। [धारा 10 (12 व 13)]

2.6. अनुमोदित Superannuation fund में नियोक्ता के करमुक्त अंशदान की सीमा को रू. 1 लाख रू से बढ़ाकर 1.5 लाख रू. किया गया है। [धारा 17(2)(vii]

2.7. अधिसूचित पेशन योजना (NPS) के तहत खाता धारक की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को प्राप्त राशि करमुक्त होगी। [धारा 80CCD]

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 व सोवेरन स्वर्ण बाण्ड से संबंधित आयकर के प्रावधानों में संशोधन –

2.8. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के तहत जमा प्रमाणपत्रों को 'पूंजी परिसंपत्ति' नही माना जाएगा। अर्थात इनके अंतरण से होने वाले पूंजी अभिलाभ पर केपिटल गेन टैक्स नही लगेगा। [धारा 2(14)]

2.9 स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के तहत जमा प्रमाणपत्रों पर ब्याज करमुक्त होगा। [धारा 10(15)]

2.10 सोवेरन स्वर्ण बाण्ड्स के संबंध में दीर्धकालीन केपिटल गेन की गणना हेतु सूचकांकन (इंडेक्सेसन) का लाभ स्वीकार्य होगा। [धारा 48]

2.11 किसी व्यक्ति (Individual) करदाता द्वारा धारित सोवरेन स्वर्ण बॉण्डस के विमोचन को (Redemption) को हस्तांतरण नही माना जाएगा अर्थात इनके विमोचन से होने वाले पूंजी अभिलाभ पर केपिटल गेन टैक्स नही लगेगा। [धारा 47]

मकान संपत्ति से संबंधित आयकर के प्रावधानों में संशोधन –

2.12 50 लाख रू के मूल्य के स्वयं के प्रथम आवासीय मकान के लिए 1.4.2016 से 31.3.2017 के बीच लिए गए आवास ऋण (अधिकतम 35 लाख रू. तक) पर देय ब्याज के लिए कटौती अधिकतम 50,000 रू तक स्वीकार्य होगी। यह कटौती धारा 24 के तहत अनुज्ञेय देय ब्याज हेतु 2 लाख रू. तक की कटौती के अतिरिक्त प्राप्त होगी। [धारा 80EE]

2.13 स्वयं के आवास वाली मकान संपत्ति के निर्माण, अधिग्रहण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती तभी मिलती थी जब मकान का निर्माण या अधिग्रहण, जिस वित्तीय वर्ष में ऋण लिया गया हो उसकी समाप्ति से 3 वर्षों के भीतर कर लिया गया हो। अब यह समय सीमा बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। [धारा 24)]

2.14 मकान किराये के बकाया राशि जिस वर्ष प्राप्त होगी उसी वर्ष करयोग्य होगी तथा अप्राप्त मकान किराये क ी राशि, जो बाद में वसूली गई हो, में से 30 प्रतिशत कटौती अनुज्ञेय होगी। [धारा 25A)]

2.15 जिन्हे मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.) नही मिलता और यदि वे किराये के मकान में रहते हैं तो ऐसे करदाता को मकान किराये के रूप में भुगतान की गई राशि की कटौती की सीमा अधिकतम 3,000 रू. प्रतिमाह से बढ़ाकर 5,000 रू

प्रतिमाह किया गया है। [धारा 80GG]

अनुमानित आयकर योजना व आडिट से संबंधित आयकर के प्रावधानों में संशोधन –

2.16 (i) छोटे व्यापारी करदाताओं के लिए अनुमानित आय योजना में शामिल होने हेतु अधिकतम कुल वार्षिक बिक्री की सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रू किया गया है।

(ii) छोटे व्यापारी करदाता जिन्होने किसी वर्ष के लिए अनमानित आय योजना (धारा 44AD) के तहत आय की घोषणा की हो तथा किसी अगले वर्ष में विनिर्दिष्ट प्रतिशत (8%) से कम आय घोषित करते है तो आगामी 5 वर्षों के लिए योजना के लाभ से अपात्र होंगे। [धारा 44AD)]

2.17 छोटे पेशेवरों (प्रोफेशनल–सी.ए. इंजीनियर, डाक्टर, वकील आदि) अर्थात जिनकी वार्षिक प्राप्तियॉ 50 लाख रू तक हैं, के लिए अनुमानित आय योजना चालू की गई है, जिसके तहत उनकी आय कुल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत पर अनुमानित की जाएगी। [धारा 44ADA)]

2.18 धारा के 44AD तहत आने वाले छोटे व्यापरियों के लिए, धारा 44AD के लाभ के लिए अपात्र हो जाने और उनकी आय मौलिक छूट सीमा से अधिक होने पर, निर्धारित खाता पुस्तकें तैयार करना और टैक्स ऑडिट कराना आवश्यक होगा। [धारा 44AA और 44AB)]

2.19. प्रोफेशनल–सी.ए. इंजीनियर, डाक्टर, वकील आदि करदाताओं को टैक्स ऑडिट कराना होगा, यदि –

(i) कुल वार्शिक प्राप्तियॉ 50 लाख रू से अधिक हों, या

(ii) धारा के 44ADA तहत अनुमानित आयकर योजना के अनुसार निर्धारित दर अर्थात कुल प्राप्तियाँ के 50 % से कम आय घोशित करते हों और उनकी आय मौलिक छूट की सीमा से अधिक हो। [धारा 44AB)]

केपिटल गेंन से संबंधित आयकर के प्रावधानों में संशोधन –

2.20 किसी म्यूचूअल फंड की योजना के समेकित प्लान में यूनिटों के बदले में (पूर्व) प्लान में यूनिटों के हस्तांतरण को, हस्तांतरण नही माना जाएगा। [धारा 47(xix)]

2.21 आय की घोषणा योजना, 2016 के तहत घोषित परिसंपित्त का अधिग्रहण मूल्य, योजना के तहत घोषित उसके उचित बाजार मूल्य के बराबर माना जाएगा। [धारा 49(5)]

2.22 Start-up के वित्तपोशक के लिए अधिसूचित फंड की यूनिटों में निवेश किये गए दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभ की राशि करमुक्त होगी। [धारा 54EE]

2.23 31.3.2019 तक किये गए किसी निवासीय मकान संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घकालीन पूंजी लाभ को पात्र Start-up में निवेश करने के लिए करमुक्ति स्वीकार्य होगी। [धारा 54GB]

2.24 किसी पेशे को करने के अधिकार की अधिग्रहण लागत उसके पूर्व मालिक को भुगतान किये गए क्रय मूल्य अथवा यदि Self generated हो तो शून्य, के बराबर होगी। सुधार की लागत शून्य होगी। [धारा 55]

2.25. असूचिकृत शेयरों के मामले में, दीर्घकालीन माने जाने के लिए धारण करने की अवधि को 36 महीने से घटाकर 24 महीने कर दिया गया। [धारा 2(42A)]

कारपोरेट टेक्सेसन से संबंधित आयकर के प्रावधानों में संशोधन –

2.26. कंपनी की निवासीय स्थिति के लिए संशोधित मानदण्ड (FY 2015-16 के स्थान पर) FY 2016-17 से प्रभावी होंगें। [धारा 6(3)]

2.27 नई SEZ इकाईयों की आय केवल तभी करमुक्त होगी यदि वे 31मार्च 2020 तक उत्पादन आरंभ करते हैं। [धारा 10AA]

2.28 Investment allowance स्वीकार्य होगा यदि प्लॉट और मशीनरी 31.3.2017 तक स्थापित की गई हो। [धारा 32AC)]

2.29 अनुसंधान के लिए कटौती 1.4.2017 से 150 प्रतिशत और 1.4.2020 से 100 प्रतिशत तक सीमित होगी। [धारा 35]

2.30 Spectrum अधिकार अधिग्रहीत करने पर पूंजी खर्च उनकी वैधता की अवधि के दौरान समान किश्तों में कटौती योग्य होगा। [धारा 35ABA)]

2.31. (i) 1.4.2017 को या उसके बाद एक नई Infrastructure सुविधा को विकसित करने या रखरखाव और प्रचालन करने या विकसित, रखरखाव और प्रचालन करने पर किये गये पूंजी खर्च के लिए 100 प्रतिशत कटौती।

(ii) सभी विनिर्दिश्ट व्यापारों पर किये गए पूंजी खर्च के लिए कटौती 1.4.2017 से 100 प्रतिशत तक सीमित होगी [धारा 35AD)]

2.32. एक non-banking financial कंपनी के मामले में डूबे हुए और शंकित ऋणों क लिए प्रावधान उसकी कुल आय के 5 प्रतिशत तक कटौती योग्य होगा। [धारा 36]

2.33. किसी विनिर्दिश्ट सेवा के लिए प्रतिफल, जिस पर equalization levy लगता हो, केवल तभी काटौती योग्य होगा, यदि इस पर यह Levy काटा गया हो और आयकर रिटर्न निर्धारित अंतिम तिथि से पहले जमा कराया गया हो। [धारा 40(a)(ib)]

2.34 धारा 35AD मे विनिर्दिश्ट व्यापार से हानि का Carry forward केवल तभी स्वीकार्य होगा यदि आय की रिटर्न अंतिम तिथि से पूर्व दाखिल की गई हो। [धारा 80]

2.35 Infrastructural विकास में संलगन उद्यमों के लिए कटौती स्वीकार्य होगी यदि वे Infrastructural सुविधा का प्रचालन और रखरखाव 31.03.2017 तक आरंभ करता है। [धारा 80IA]

2.36 SEZ विकासकर्ता के लिए कटौती स्वीकार्य होगी यदि वह SEZ का विकास का कार्य 31.03.2017 तक आरंभ करता है। [धारा 80IAB]

2.37 वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रारंभ होने वाले एक नये पात्र Start-up को स्थापना से 5 वर्श के दौरान किसी 3 लगातार वर्ष में होने वाली आय पर 100% कटौती स्वीकार्य होगी। [धारा 80IAC]

2.38 खनिज तेल या प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन में संलग्न उघम के लिए कटौती स्वीकार्य होगी यदि 31.03.2017 तक उत्पादन करता है। [धारा 80IB]

2.39 1 जून 2016 से 31.03.2019 के बीच सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पात्र सस्ते आवास परियोजना के विकास और निर्माण से आय के संबंध में 100% कटौती स्वीकार्य होगी। [धारा 80IBA]

2.40 नये रोजगार प्रदान करने के लिए कटौती में परिवर्तन किये गए हैं। केवल वे करदाता जिनका टैक्स–ऑडिट होता है उन्हीं को स्वीकार्य होगी। 25,000 रू तक की परिलब्धियों वाले सभी वर्गों के कर्मचारियों के संबंध में मिलेगी। नये कर्मचारियों के लिए कोई न्यूनतम सीमा नही होगी। [धारा 80JJAA]

2.41 1.3.2016 को या इसके बाद पंजीकृत हुई नई उत्पादक कंपनियों को, उनकी आय (बिना किसी कटौती के लाभ के गणित) पर 25 प्रतिशत की दर से कर देने का विकल्प होगा। [धारा 115BA]

2.42 भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट के वैश्विक उपयोग से आय पर कर के लिए 10% की विशेष दर। [धारा 115BBF]

अग्रिम कर व आयकर रिटर्न से संबंधित प्रावधानों में संशोधन –

2.43. सभी करदाताओं द्वारा अग्रिम कर का भुगतान 4 किश्तों में निम्न प्रकार किया जाएगा :–

15 जून तक	15 प्रतिशत	15 सितंबर तक	30 प्रतिशत
15 दिसम्बर तक	30 प्रतिशत	15 मार्च तक	25 प्रतिशत

धारा 44AD के तहत छोटे व्यापारी करदाताओं को भी एक किश्त में 15 मार्च तक पूरे अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। [धारा 211]

2.44 विलंबित रिटर्न संबद्ध निर्धारित वर्ष की समाप्ति से पहले या निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, दाखिल की जा सकेगा। विलंबित रिटर्न को भी संशोधित किया जा सकेगा। [धारा 139]

2.45 (i) धारा 143(1) के तहत सूचना रिटर्न को भी संशोधित किया जा सकेगा।
(ii) धारा 143(2) के तहत जॉच के लिए नोटिस एक केन्द्रित एजेंसी के जरिये electronically भेजा जा सकेगा। [धारा 139]

2.46 नियमित निर्धारण नए सिरे से निर्धारण, पुनर्निर्धारण और तलाशी के मामले में निर्धारण को पूरा करने के लिए समय सीमा को प्रत्येक मामले में 3 महीने से घटाया गया। अपील प्रभाव आदेश की तिथि से 3 महीने के भीतर प्रदान किया जाएगा। [धारा 153 और 153B]

2.47 (a) रिफंड पर ब्याज का भुगतान आय की रिटर्न दाखित करने की तिथि से किया जाएगा, यदि रिटन अंतिम तिथि के बाद दाखिल किया गया हो।
(b) अपील प्रभाव के कारण उदित होने वाले रिफंड पर 3% प्रति वर्श की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा, यदि रिफंड 3 महीनों के बाद प्रदान किया जाय। [धारा 244A]

2.48 आय को छिपाने के लिए दण्ड (धारा (1)(c) के तहत) मे परिवर्तन किया गया जिससे अधिकारी के विवेकाधिकार को घटाया गया है। दण्ड की दर underreporting के मामले में कर का 50 प्रतिशत और misreporting के मामले में कर का 200 प्रतिशत होगी। [धारा 270A]

.2.49 धारा 270A के तहत दण्ड तथा धारा 276C या धारा 276CC के तहत अभियोजन को निरस्त किया जा सकता है यदि कर का भुगतान किया जाए और करदाता द्वारा कोई अपील नही की जाए। [धारा 270AA]

टी.डी.एस.से संबंधित आयकर कें प्रावधानों में संशोधन –

2.50 निम्न के संबंध में स्त्रोत पर कर वसूला जाएगा :–
(a) 10 लाख रू से अधिक मूल्य के मोटर बाहन (क्रेता से राशि प्राप्त करते समय) @ 1 प्र.श.
(b) किसी वस्तु या सेवायें की बिक्री से 2 लाख रू से अधिक की राशि नकद (जेवरात के लिए 5 लाख रू. से अधिक) प्राप्त होती है तो प्राप्त नकद की राशि पर @ 1 प्र.श. [धारा 206C]

नोट– TCS केवल निम्न विक्रेता श्रेणी से सामान/सेवा खरीदने पर ही देय होंगे – कंपनी, सरकारी निकाय,

पार्टनरशिप फर्म, व्यक्ति, जिसका टर्नव्होर पिछले वर्ष आडिट की सीमा 1 करोड़ तक हो आदि।

2.51 TDS के लिए छूट सीमाओं में 1.6.2016 से निम्न मामलों में परिवर्तन किया गया :–

	वर्तमान	संशोधित
(i) RPF खाते में संचयित शेष (192A)	30,000	50,000
(ii) घुड़दौड़ से जीती रकम (194BB)	7,000	10,000
(iii) ठेकेदारों को भुगतान (194C)	75,000	1,00,000
(iv) बीमा कमीशन (194D)	20,000	15,000
(v) लाटरी टिकटों पर कमीशन, पारिश्रमिक या ईनाम (194G)	1,000	15,000
(vi) कमीशन या दलाली (194H)	5,000	15,000
(vii)अचल संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर प्रतिपूर्ति (194LA)	2,00,000	2,50,000

2.52 TDS दरों मे 1.6.2016 से निम्न मामलों में परिर्तन किया गया :–

(i) जीवन बीमा पालिसी के तहत भुगतान (194DA)	2%	1%
(ii) NSS 1987 के तहत भुगतान (194EE)	20%	10%
(iii) लाटरी टिकटों पर कमीशन, पारिश्रमिक या ईनाम (194G)	10%	5%
(iv) कमीशन या दलाली (194H)	10%	5%

आयकर से संबंधित अन्य प्रावधानों में संशोधन –

2.53 एक निवासी व्यक्ति/HUF/फर्म की किसी कंपनी/कंपनियों से कुल 10 लाख रू से अधिक की डिविडेन्ड आय, धारा 115BBDA के तहत 10 प्रतिशत करयोग्य होगी। [धारा 10(34) और 115BBDA)]

2.54 किसी विनिर्दिश्ट सेवा से अनिवासी की आय, जिस पर Equalisation levy लगा हो, करमुक्त होगी। [धारा 10(50)]

2.55 किसी पेशे के संबंध में कोई गतिविधि न करने के लिए किसी अनुबंध के तहत प्राप्त कोई राशि पेशे से आय के रूप में करयोग्य होगी। [धारा 28(VA)]

2.56 International Financial Services Centre मे स्थापित कोई इकाई जो केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय अर्जित करती हो, के मामले में MAT - 9 प्रतिशत की दर से लगेगा। [धारा 115JB]

2.57 किसी विनिर्दिश्ट सेवा (अर्थात online विज्ञापन, digital advertising space और संबंधित सुविधा का प्रावधान और अन्य निर्धारित सेवाएं) के प्रतिफल की राशि पर 6 प्रतिशत की दर से equalization levy लगाया जाएगा, यदि सेवा किसी अनिवासी द्वारा किसी निवासी को या किसी अनिवासी को जिसका भारत में स्थायी स्थापन है, और सेवा के लिए कुल प्रतिफल 1 लाख रू से अधिक हो। [वित्त विधेयक, 2016 का अध्याय VIII]

सभी राज्यों एवं जिलो में वितरक नियुक्त करना है, शीघ्र संपर्क करे :
यह पुस्तक हिन्दी, व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।
पता – ए बी सी. पब्लिकेशन,
प्रकाश फक्राका के सामने बिजली आफिस रोड, फूल चौक, रायपुर (छ.ग.)
Mobile : 0 7771 83 7771
visit us – www.abcpublication.in, e-mail-contact @abcpublication.in

2.58 1.6.2016 से आय घोषणा योजना, 2016 आरंभ होगी (4 महीने तक अर्थात 30.9.2016 तक अपेक्षित है)। कोई भी करदाता अपनी अघोषित आय की घोषणा कर सकता है, उस पर 45 प्रतिशत की समेकित दर से (अधिभार एवं दंड सहित) कर का भुगतान किश्तों में (25%, 25% व 50%) सितम्बर 2017 तक कर सकता है। योजना घोषित की गई आय के संबंध में किसी जांच या पूछताछ से और अभियोजन से बचाव प्रदान करती है। [वित्त विधेयक, 2016 का अध्या IX]

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:26 PM